भारतीय राजनीति से माफिया को खत्म करना

साभार: लाइव मिंट

07 नवंबर, 2017

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट राजनेताओं और अपराधियों के बीच सहजीवी संबंधों को तोड़ने के लिए शायद ही कुछ कर पायेगा।

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निर्वाचित मंत्रियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति के बारे में पूछा, इसमें कानून-तोड़ने वाले इतिहासकारों से कानून बनाने वालों को तोड़ने के महत्व को रेखांकित किया गया। अदालत ने मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालत की स्थापना करने की सिफारिश की, लेकिन इसके एक प्रभावी रणनीति बनने की संभावना नहीं है, जब तक कि प्रशासन में सुधार के लिए सुधारों के साथ-साथ सहयोग और अभियान वित्तपोषण में पारदर्शिता नहीं लाया जाता।

अपराधीकरण को राजनीतिज्ञों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है; या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी अप्रत्याशित रूप द्वारा। यह एक नई घटना नहीं है; 'बूथ कैप्चरिंग' की पहली सूचना 1957 में दर्ज की गई थी, जिसमें किराए पर जाने वाले गुंडों में शामिल थे, जो मतदाताओं को जबरदस्ती या बेदखल मतदाताओं की तरफ से खुद मतदान करते थे। अपने काम के बदले में राजनेता इन अपराधियों को अभियोजन पक्ष से रक्षा करते थे। चुनावों के साथ इस तरह के छोटे संबंध से गुंडों और गिरोहों ने भी खुद को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। मिलान वैष्णव, जो When Crime Pays: Money And Muscle In Indian Politics के लेखक है, ने इसे ऊर्ध्वाधर एकीकरण का एक उदाहरण बताया है। वर्ष 1960 के दशक के अंत तक, उम्मीदवारों की फिर से चुनाव दर उच्च थी, इसलिए राजनेताओं को चुनाव जीतने में मदद करने के बाद गुंडों को राजनीतिक लाभों का अपेक्षाकृत आश्वासन दिया गया था। जैसा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, अवलंबी उम्मीदवारों के फिर से चुनाव के बारे में अनिश्चितता में भी वृद्धि हुई। इसने राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को आगे बढ़ाया, ताकि अपने अस्तित्व और सुरक्षा पर नियंत्रण बढ़े। कई गुंडे जो राजनीति में शामिल नहीं थे, वे प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया के रूप में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें इस अवसर का खोने का डर था या प्रर्तिस्पर्धी गिरोहो ने उन्हें मार दिया था।

कार्यक्षेत्र एकीकरण यह नहीं बताता है कि क्यों राजनीतिक दलों ने इस तरह के गुंडों का चुनाव किया, उम्मीदवारों की अपराधीता खराब प्रेस ला सकती थी। यह प्रक्रिया 1969 में चुनावों के कॉरपोरेट वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाकर इंदिरा गांधी के साथ शुरू हुई थी। इससे अभियान वित्त का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी स्रोत का सफाया हो गया और वित्त पोषण को भूमिगत रूप में धकेल दिया गया। साथ ही, बढ़ती आबादी के कारण चुनाव लड़ने की लागत में बढ़ोतरी हुई, जहाँ 1952 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या 55 से बढ़कर 2014 में 464 हो गई और फिर वोटों के लिए तरह-तरह के प्रलोभन देने की प्रवृत्ति शुरू हो गयी। यह भूमिगत वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धी खोज को बढ़ावा मिला और फिर सारा खेल अपराधियों और धमकी देकर माँगनेवालों के हाथों में चला गया, जिनका काम केवल बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने और निपटाने का था। इस प्रकार पार्टियों ने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू किया। क्योंकि वे पार्टी के सीमित खजाने पर बोझ बने बिना चुनाव लड़ सकते थे। पिछले तीन आम चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि रणनीति एक चुनावी सफलता थी, क्योंकि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को 'साफ' उम्मीदवार के मुकाबले जीतने की संभावना तीन गुना अधिक थी।

समस्या की जड़ देश की खराब प्रशासन क्षमता से सम्बंधित है। एक तरफ भारत में अत्यधिक प्रक्रियाएं हैं जो नौकरशाही को लोगों के सामान्य जीवन में स्वयं सम्मिलित करने देती हैं; दूसरी तरफ, यह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बेहद निराश दिखाई देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के आधे हिस्से में एलोपैथिक डॉक्टरों, नर्सों और मिडवाइफ (प्रसव में सहायता देने वाली दाई) का घनत्व भारत (2014) में 10,000 निवासियों में 11.9% था। इसके अलावा, गांवों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में घनत्व दस गुना बड़ा है। आंतरिक सुरक्षा की चिंताओं के बावजूद, माओवादी हिंसा से धार्मिक उग्रवाद और संगठित अपराध तक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मियों में 30% की कमी है। भारत में प्रति व्यक्ति पुलिस अधिकारियों की संख्या 122.5 प्रति 100,000 व्यक्ति, किसी भी जी -20 सदस्य देश की तुलना में सबसे कम है और इस रिक्ति स्थान को भरने की दर 25% है। उच्च न्यायालयों के लिए रिक्ति दर 37% और स्थानीय अदालतों के लिए 25% है।

राज्य क्षमता की कमी 'मजबूत' लोगों को पसंद करने का कारण बनती है, जो आवश्यक कार्यो को करने में सक्षम होती हैं, अर्थात कोई व्यक्ति जो अनुबंध को लागू कर सकता हो, मुसीबत में पड़ने पर पुलिस के साथ बात कर सकता हो, सरकारी बाबुओं को संभाल सकता हो, जब लाइसेंस प्राप्त करने हेतु या इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में प्रवेश पाने में मदद की आवश्यकता हो। कभी-कभी ये राजनेता सांप्रदायिक लाइनों के साथ सरेखित करते हैं, एक जाति या धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करने का वादा करते हैं। अपराध ीकरण मतदाताओं को पकड़ने से दूर, उनको प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह संकेत करता है कि उम्मीदवार अपने वादों को पूरा करने और निर्वाचन क्षेत्र के हितों को हासिल करने में सक्षम है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट आवश्यक हैं, क्योंकि राजनेता न्यायिक प्रक्रिया में देरी करने में सक्षम हैं और अभियोजन से पहले दशकों तक सेवा करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह राजनेताओं और अपराधियों के बीच सहजीवी रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। अभियोजन पक्ष के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को इस प्रतियोगिता में शामिल कर लिया है, जिससे परिवार में सत्ता बनी रहे।

सुधार के लिए नेताओं और मतदाताओं दोनों के लिए प्रोत्साहनों को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले अभियान वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता लाने के राजनीतिक दलों के लिए गिरोहियों को शामिल करने के लिए इसे कम आकर्षक बनाने जा रहा है। इस प्रकार,

भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों का लेखा-परीक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए या राजनीतिक दलों की वित्तीय जानकारी (आरटीआई) कानून के तहत लाई जानी चाहिए। दूसरा, व्यापक शासन को आपराधिक राजनेताओं पर निर्भरता कम करने के लिए मतदाताओं के लिए सुधार करना होगा। इसके लिए नौकरशाही प्रक्रियाओं के एक युक्तिकरण की आवश्यकता होती है और राज्य की क्षमता में वृद्धि के लिए जरूरी सार्वजनिक सामान, जैसे जीवन और अनुबंध की सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक पहुंच की आवश्यकता होती है। अकेले राजनेताओं के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट भारतीय राजनीति को शुद्ध करने में अप्रभावी रहेगा।

संबंधित तथ्य

राजनीतिक अपराधीकरण

- राजनीतिक अपराधीकरण से आशय सत्ता प्राप्ति या प्रयोग के लिए प्रयोग किए गए गैर कानूनी व असामाजिक तरीकों से है जो राजनीतिक कार्यशैली के स्वरूप को विकृत करते हैं। जब इस आपराधिक कार्यशैली का प्रयोग राजनीतिक माध्यम से किया जाता है, जब अपराध का राजनीतिकरण हो जाता है।
- उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को सभी उम्मीदवारों से उनकी परिसम्पतियों, देन दारियों और शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ अपराधों की पूर्ववर्ती जानकारी, यदि कोई हो तो प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। सब कुछ अकेली न्यायपालिका नहीं कर सकती।
- इसमें संसद के योगदान की भी आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में शासन ने अपराधियों और आतंकवादियों के समक्ष घुटने टेकने की नीति अपनायी है, किन्तु अब उसे दृढ़ फैसले लेने चाहिए और लेने होंगे। राजनीति के अपराधीकरण की समस्या की जड़ राजनैतिक दलों में होती है।
- राजनीतिक दल अपना शुद्धिकरण करें। दलों का लक्ष्य पारम्परिक रूप से सत्ता प्राप्त करना ही होना चाहिए, परन्तु लक्ष्य प्राप्ति का साधन उचित होना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा अपराधियों को अपना उम्मीदवार बनाने में कठोर परहेज हरहालत में किया जाना चाहिए।
- चुनाव सुधारों के लिए अनेक समितियों व आयोगों ने तमाम सिफारिशें कीं। गोस्वामी समिति 1990 में बनी थी और वोहरा समिति 1993 में, लेकिन उनके सुझावों का संज्ञान नहीं लिया गया। फिर सरकारी खर्च पर चुनाव कराने की बात उठी।
- इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने इस पर रिपोर्ट दी। विधि आयोग ने चुनाव कानूनों में सुधार के लिए 1999 में सुझाव दिए। 2004 में और बाद में भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों पर कई प्रस्ताव दिए। 2008 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी चुनाव सुधारों की सिफारिशें की गई, लेकिन दलतंत्र ने अपनी सुविधा के लिए दुविधापूर्ण आचरण ही किए। राजनीति का अपराधीकरण बड़ी चुनौती है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के त्वरित निवारण हेतु विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया है।
- गौरतलब है कि ये अदालतें फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह मामलों को जल्द निपटाएंगी। साथ ही चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये।
- इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर भले ही अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग के साथ-साथ कानूनविदों का भी मानना है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिये इस संबंध में कोई समुचित प्रयास करने चाहिये।
- केवल चर्चा तक ही सीमित रहने वाले चुनाव सुधारों को अमलीजामा पहनाने का सुप्रीम के पास यह सुनहरा अवसर है। इस लेख में हम न्यायालय के वर्तमान आदेश के अलावा इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या दागी नेताओं को आजीवन चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिये?

इस संबंध में कानूनी प्रावधान क्या हैं?

कानूनी तौर पर अपराधी घोषित जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निम्नलिखित प्रवधान किये गए हैं:

- इस अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं इसे 6 वर्ष के अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- हालाँकि, धारा 8(4) में यह भी प्रावधान है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु, 2013 में 'लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहराकर निरस्त कर दिया था।

संभावित प्रश्न

''राजनीति का अपराधीकरण जितना भयंकर रूप धारण कर चुका है, उसके निराकरण के लिए उतने ही दृढ़ संकल्प एवं इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।'' इस कथन के सन्दर्भ में बताये कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए? और राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में विशेष अदालतों का गठन कितना कारगर होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

"The more serious the criminalization of politics has taken, it needs equal determination and will to resolve it." In reference to this statement, what steps should be taken by the government to deal with this problem ? And how effective the formation of special courts will be to prevent criminalization of politics? Discuss. (200 words)